विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987

(नं. 39 / 1987)

(जैसा विधिक सेवा प्राधिकरण संशोधन अधिनियम 1994 द्वारा संशोधित है)

(नं. 59 / 1994)

समाज के कमजोर वर्गों को, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरि न्याय प्राप्त करने पाने के अवसर से वंचित न रह जाए, निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवा उपलब्ध कराने के लिए विधि सेवा प्राधिकरण का गठन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि विधिक प्रणाली का प्रवर्तन समान अवसर के आध पर न्याय का संबर्धन करे, लोक अदालत आयोजित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के अड़तीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनिमित हो–

अध्याय–1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 है
(2) इसका विस्तार जम्मू व कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है।
(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा नि करे और इस अधिनियम के भिन्न–भिन्न उपबंधों के लिए तथा भिन्न–भि राज्यों के लिए भिन्न–भिन्न तारीख नियत की जा सकेंगी और किसी राज्य संबंध में इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के प्रारम्भ के प्रति किसी निर्देश यह अर्थ लगाया जायेगा कि वह उस राज्य में उस उपबन्ध के प्रारम्भ के नि निर्देश है।

परिभाषाएं

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो:–
(क) "मामला" के अन्तर्गत किसी न्यायालय के समक्ष कोई वाद या कोई कार्यवाही है।
(कक) "केन्द्रीय प्राधिकरण" से धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अभिप्रेत है।
(ककक) "न्यायालय" से कोई सिविल दाण्डिक या राजस्व न्यायालय अभिप्रेत है औ इसके अन्तर्गत न्यायिक या न्यायिकेतर कृत्यों का प्रयोग करने के त तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित कोई अधिकरण या कोई प्राधिकरण है।
(ख) "जिला प्राधिकरण" से धारा 9 के अधीन गठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अ

(खख) "उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति" से धारा 8क के अधीन गठित उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति अभिप्रेत है।

(ग) "विधिक सेवा" के अन्तर्गत किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण या अधिकरण के समक्ष किसी मामले या अन्य विधिक कार्यवाही के संचालन में कोई सेवा प्रदान करना और किसी विधिक विषय में सलाह देना भी है।

(घ) "लोक अदालत" से अध्याय 6 के अधीन आयोजित लोक अदालत अभिप्रेत है।

(ङ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है।

(च) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है।

(चच) "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियम अभिप्रेत है।

(छ) "स्कीम" से केन्द्रीय प्राधिकरण, किसी राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के किसी उपबन्ध को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए तैयार की गई कोई स्कीम अभिप्रेत है।

(ज) "राज्य प्राधिकरण" से धारा 6 के अधीन गठित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अभिप्रेत है।

(झ) "राज्य सरकार" के अन्तर्गत संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया किसी संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक भी है।

(ञ) "उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति" से धारा 3क के अधीन गठित उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति अभिप्रेत है।

(ट) "तालुक विधिक सेवा समिति" से धारा 11क के अधीन गठित तालुक विधिक सेवा समिति अभिप्रेत है।

(2) इस अधिनियम में किसी अन्य अधिनियम या उसके किसी उपबन्ध के प्रति निर्देश का, किसी ऐसे क्षेत्र के संबंध में जिसमें ऐसी अधिनियमिति या ऐसा उपबन्ध नहीं है, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस क्षेत्र में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि या तत्स्थानी विधि के सुसंगत उपबन्ध, यदि कोई हो, प्रति निर्देश है।

अध्याय–2

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन

3. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय प्राधिकरण को प्रदत्त या समनुर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करने के लिए एक निकाय गठित करेगी जिसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण कहा जायेगा।

(2) केन्द्रीय प्राधिकरण निम्नलिखित से मिलकर बनेगा:–

(क) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, जो मुख्य संरक्षक होगा,

(ख) भारत का मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्दिष्ट उच्चतम न्यायाल का एक सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जो कार्यपालक अध्यक्ष होगा, और

(ग) उतने अन्य सदस्य जिनके पास ऐसा अनुभव और ऐसी अर्हताएं हों जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं और जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से उस सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाए।

(3) केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष के अधीन, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के लिए जो उस सरकार द्वारा विहित किए जाए या जो उस प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा उसे समनुदिष्ट किए जाए, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से केन्द्रीय प्राधिकरण के सदस्य सचिव के रूप में एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेंगी जिसके पास ऐसा अनुभव और ऐसी अर्हताएं हो जो उस सरकार द्वारा विहित की जाए।

(4) केन्द्रीय प्राधिकरण के सदस्यों और सदस्य सचिव की पदावधिया और उनसे संबंधित अन्य शर्तों वे होंगी जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से केन्द्रीय सरकार, द्वारा विहित की जाए।

(5) केन्द्रीय प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए उतने अधिकारी और अन्य कर्मचारी नियुक्त कर सकेगा जितने केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से विहित किए जाये।

(6) केन्द्रीय प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसे वेतन और भत्तों के हकदार होंगे और सेवा की ऐसी अन्य शर्तों के अधीन होंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से विहित किए जायें।

(7) केन्द्रीय प्राधिकरण के प्रशासनिक व्यय, जिनके अन्तर्गत केन्द्रीय प्राधिकरण के सदस्य–सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियो को संदेय वेतन, भत्ते और पेंशन भी है, भारत की संचित निधि में से अदा किए जायेंगे।

(8) केन्द्रीय प्राधिकरण के सभी आदेश और विनिश्चय सदस्य–सचिव द्वारा उस प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत उक्त प्राधिकरण के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित किये जायेंगे।

(9) केन्द्रीय प्राधिकरण का कोई कार्य का कार्यवाही केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होंगी कि केन्द्रीय प्राधिकरण में कोई रिक्त है या उसके गठन में कोई त्रुटि है।

च्चतम न्यायालय धिक सेवा समिति

3क. (1) केन्द्रीय प्राधिकरण, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करने के प्रयोजन के लिए जो केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा अवधारित किए जायेंगे, एक समिति का गठन करेगा जिसे उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति कहा जायेगा।

(2) यह समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे :–

(क) उच्चतम न्यायालय का एक आसीन न्यायाधीश जो अध्यक्ष होगा और

(ख) उतने अन्य सदस्य जिनके पास ऐसा अनुभव और ऐसी अर्हताएं हों जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।

(3) भारत का मुख्य न्यायमूर्ति इस समिति के सचिव के रूप में एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जिसके पास ऐसा अनुभव और ऐसी अर्हताएं हों जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।

(4) समिति के सदस्यों और सचिव की पदावधियां और उनसे संबंधित अन्य शर्तें वे होंगी जो केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा अवधारित की जाएं।

(5) समिति अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए उतने अधिकारी और अन्य कर्मचारी नियुक्त कर सकेगी जितने केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से विहित किए जाए।

(6) समिति के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसे वेतन और भत्तों के हकदार होंगे और सेवा की ऐसी अन्य शर्तों के अधीन होंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से विहित की जाएं।

द्रीय प्राधिकरण कृत्य

4. (1) केन्द्रीय प्राधिकरण, निम्नलिखित सभी या उनमें से किसी कृत्य का पालन करेगा अर्थात्:–

(क) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन विधिक सेवा उपलब्ध कराने के लिए नीतियां और सिद्धांत अधिकथित करना,

(ख) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए अत्याधिक प्रभावी और कम खर्चीली स्कीमें तैयार करना,

(ग) उसके व्ययनाधीन निधि का उपयोग करना और राज्य प्राधिकरण तथा जिला प्राधिकरण को निधि का आवंटन करना,

(घ) उपभोक्ता संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण का समाज के कमजोर वर्गों के लिए विशेष महत्व वाले किसी अन्य विषय के संबंध में सामाजिक न्याय संबंधी मुकदमें के रूप मे आवश्यक कदम उठाना, और इसके लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं को विधि कौशल में प्रशिक्षण प्रदान करना,

(ङ) ग्रामीण क्षेत्रों, गंदी बस्तियों या श्रमिक कालोनियों में समाज के कमजोर वर्गों को उनके अधिकारों तथा साथ ही लोक अदालतों के माध्यम से विवादों को सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शिक्षित प्रयोजन करने के दोहरे प्रयोजन से विधिक सहायता कैम्प आयोजित करना।

(च) बातचीत, माध्यस्थम और सुलह के द्वारा विवादों का निपटारा करने के लिए प्रोत्साहित करना,

(छ) विधिक सेवाओं के क्षेत्र में निर्धनों के बीच ऐसी सेवाओं की आवश्यकता के विशेष संदर्भ में अनुसंधान करना और उसका संवर्धन करना,

(ज) संविधान के भाग 4क के अधीन नागरिकों के मूल कर्तव्यों के प्रति वचनबद्धता सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक बातें करना,

(झ) कालिक अंतराल पर विधिक सहायता कार्यक्रम के कार्यान्वयन को मानिटर करना और उसका मूल्यांकन करना और इस अधिनियम के अधीन उपबन्धित निधि से पूर्णतः या भागतः क्रियान्वित कार्यक्रमों और स्कीमों के स्वतंत्र मूल्यांकन की व्यवस्था करना,

(ञ) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन विधिक सेवा संबंधी स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए उसके व्ययनाधीन रखी गई रकमों में से विभिन्न स्वैच्छिक समाज सेवा संस्थाओं और राज्य तथा जिला प्राधिकरणों को विनिर्दिष्ट स्कीमों के लिए सहायतार्थ अनुदान देना,

(ट) भारतीय विधिज्ञ परिषद के परामर्श से वैज्ञानिक विधिक शिक्षा कार्यक्रमों का विकास करना और मार्गदर्शन का संवर्धन करना तथा विश्वविद्यालयों, विधि महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं में विधिक सेवा क्लीनिकों की स्थापना और उनके कार्यकरण का पर्यवेक्षण करना,

(ठ) लोगों के बीच विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता के प्रसार और विशिष्टतः समाज के कमजोर वर्गों को, सामाजिक कल्याण विधानों और अन्य अधिनियमितियों द्वारा गारण्टी किए गए अधिकारियों, फायदों और विशेषाधिकारों के बारे में साथ ही साथ प्रशासनिक कार्यक्रमों और अभ्युपायों के बारे में शिक्षित करने के लिए उपयुक्त उपाय करना,

(ड) मूलभूत स्तर पर, विशिष्टतः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, स्त्रियों और ग्रामीण तथा शहरी श्रमिकों के बीच कार्यरत स्वैच्छिक सामाजिक कल्याण संस्थाओं का समर्थन प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास करना, और

(ढ) राज्य प्राधिकरणों, जिला प्राधिकरणों, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियों, तालुक विधिक सेवा समिति या ऐसे

स्वैच्छिक समाज सेवा संस्थाओं और अन्य विधिक सेवा संगठनों के कार्यकरण को संभावित और मानिटर करना और विधिक सेवा कार्यक्रमों के उचित कार्यान्वयन के लिए साधारण निर्देश देना।

केन्द्रीय प्राधिकरण का अन्य अभिकरणों के समन्वयों से कार्य करना।

5. केन्द्रीय प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में जहां भी उपयुक्त हो, अन्य सरकारी और गैर–सरकारी अभिकरणों, विश्वविद्यालयों और निर्धनों के विधिक सेवा के उद्देश्य के संवर्धन के कार्य में लगी अन्य (संस्थाओं) के समन्वय से कार्य करेगा।

अध्याय–3

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन

6. (1) प्रत्येक राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन राज्य प्राधिकरण को प्रदत्त या समनुदिष्ट शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करने के लिए एक निकाय का गठन करेगी जिसे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कहा जाएगा

(2) राज्य प्राधिकरण निम्नलिखित से मिलकर बनेगा :–

(क) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, जो मुख्य संरक्षक होगा;

(ख) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से राज्यपाल द्वारा नामनिर्दिष्ट उच्च न्यायालय का एक सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति जो कार्यपालक अध्यक्ष होगा, और

(ग) उतने अन्य सदस्य जिनके पास ऐसा अनुभव और ऐसी अर्हताएं हों जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं और जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से उस सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाएं।

(3) राज्य सरकार, राज्य प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष के अधीन ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के लिए, जो उस सरकार द्वारा विहित किए जाएं, या जो उस प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा, उसे समनुदिष्ट किए जाएं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, राज्य उच्चतर न्यायिक सेवा के एक व्यक्ति को, जो जिला न्यायाधीश की पंक्ति से नीचे का न हो, राज्य प्राधिकरण का सदस्य–सचिव नियुक्त करेगी।

परन्तु राज्य प्राधिकरण के गठन की तारीख के ठीक पूर्व राज्य विधिक सहायता और परामर्श बोर्ड के सचिव के रूप में कार्य कर रहा व्यक्ति उस प्राधिकरण के सदस्य सचिव के रूप में पांच वर्ष से अनाधिक अवधि के लिए नियुक्त किया जा सकेगा भले ही वह इस उपधारा के अधीन उस रूप मे नियुक्त किये जाने के लिए अर्ह न हो

(4) राज्य प्राधिकरण के सदस्यों और सदस्य–सचिव की पदावधिया और उनसे संबंधित अन्य शर्तें वे होगी जो राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से विहित की जाए।

(5) राज्य प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए उतने अधिकारी और अन्य कर्मचारी नियुक्त कर सकेगा जितने राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से विहित किये जाए।

(6) राज्य प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसे वेतन और भत्तों के हकदार होंगे और सेवा की ऐसी अन्य शर्तों के अधीन होंगे जो राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से विहित की जायें।

(7) राज्य प्राधिकरण के प्रशासनिक व्यय, जिनके अन्तर्गत राज्य प्राधिकरण के सदस्य–सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन, भत्ते और पेंशन भी है, राज्य की संचित निधि में से अदा किए जायेंगे।

(8) राज्य प्राधिकरण के सभी आदेश और विनिश्चय सदस्य–सचिव द्वारा या राज्य प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत राज्य प्राधिकरण के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किये जायेंगे।

(9) राज्य प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी कि राज्य प्राधिकरण में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है।

राज्य प्राधिकरण के कृत्य

7. (1) राज्य प्राधिकरण का यह कृत्य होगा कि वह केन्द्रीय प्राधिकरण की नीति और निर्देशों को कार्यान्वित करे।

(2) राज्य प्राधिकरण, उपधारा (1) में निर्दिष्ट कृत्यों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित सभी या उनमें से किसी कृत्य का पालन करेगा, अर्थात:–

(क) ऐसे व्यक्तियों को विधिक सेवा देना जो इस अधिनियम के अधीन अधिकथित मानदंडों की पूर्ति करते हैं,

(ख) लोक अदालतों, का जिनके अन्तर्गत न्यायालय के मामलों के लिए लोक अदलातें भी हैं, संचालन करना,

(ग) निवारक और अनुकूलन विधिक सहायता कार्यक्रमों का जिम्मा लेना, और

(घ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो राज्य प्राधिकरण, केन्द्रीय प्राधिकरण के परामर्श से विनियमों द्वारा, नियत करे।

राज्य प्राधिकरण या अन्य अभिकरणों आदि के साथ समन्वय से कार्य करना और केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा द्वारा दिये गये निर्देशों के अधीन होना।

8\. (1) राज्य प्राधिकरण अपने कृत्यों के निर्वहन में अन्य सरकारी अभिकरणों गैर–सरकारी स्वैच्छिक समाज या संस्थाओ, विश्वविद्यालयों और निर्धन के लिए विधिक सेवा के उद्देश्य संवर्धन के कार्य में लगे हुए अन्य निकायों के साथ समन्वय समुचित रूप से कार्य करेगा और ऐसे निदेशों से भी मार्गदर्शित होगा जो केन्द्रीय प्राधिकरण लिखत रूप में दे।

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति।

8.क (1) राज्य प्राधिकरण, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करने के प्रयोजन के लिए, जो राज्य प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा अवधारित किए जायें, प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए एक समिति का गठन करेगा जिसे उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति कहा जायेगा।

(2) यह समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेगे:–

(क) उच्च न्यायालय का एक आसीन न्यायाधीश जो अध्यक्ष हो, और

(ख) उतने अन्य सदस्य, जिनके पास ऐसा अनुभव और ऐसी अर्हताए हो जो राज्य प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा अवधारित की जाए।

(3) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति समिति का एक सचिव नियुक्त करेगा जिसके पास ऐसा अनुभव और ऐसी अर्हताए हों जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए।

(4) समिति के सदस्यों और सचिव की पदावधियों और उनसे संबधित अन्य शर्ते वे होंगी जो राज्य प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमो द्वारा अवधारित की जाएं।

(5) समिति अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए उतने अधिकारी और अन्य कर्मचारी नियुक्त कर सकेगी जितने सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से विहित किए जाए।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण।

9 (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन जिला प्राधिकरण को प्रदत्त या समनुदिष्ट शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करने के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से राज्य के प्रत्येक जिले के लिए एक निकाय का गठन करेगी जिसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कहा जायेगा।

(2) जिला प्राधिकरण निम्नलिखित से मिलकर बनेगा:–

(क) जिला न्यायाधीश जो उसका अध्यक्ष होगा और

(ख) उतने अन्य सदस्य, जिनके पास ऐसा अनुभव और ऐसी अर्हताएं हों जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं और जो उस सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से नामनिर्दिष्ट किये जायें।

(3) राज्य प्राधिकरण, उस समिति के अध्यक्ष के अधीन ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के लिए, जो ऐसे अध्यक्ष द्वारा उसे समनुदिष्ट किए जाएं, जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष के परामर्श से, राज्य न्यायिक सेवा के एक व्यक्ति को जो जिला न्यायपालिका के स्थान में कार्य कर रहे अधीनस्थ न्यायाधीश या सिविल न्यायाधीश की पंक्ति से नीचे की पंक्ति का न हो जिला प्राधिकरण के सचिव के रूप में नियुक्त करेगा।

(4) जिला प्राधिकरण के सदस्यों और सचिव की पदावधियां और उनसे संबंधित अन्य शर्तें वे होंगी जो राज्य प्राधिकरण द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से बनाए गए विनियमों द्वारा अवधारित की जाए।

(5) जिला प्राधिकरण अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए उतने अधिकारी और अन्य कर्मचारी नियुक्त कर सकेगा जितने राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से विहित की जाएं।

(6) जिला प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसे वेतन और भत्तों के हकदार होंगे और सेवा की ऐसी अन्य शर्तों के अधीन होंगे जो राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से विहित की जाए।

(7) प्रत्येक जिला प्राधिकरण के प्रशासनिक व्यय, जिनके अंतर्गत जिला प्राधिकरण के सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन, भत्ते और पेंशन भी हैं, राज्य की संचित निधि में से अदा किए जायेंगे।

(8) जिला प्राधिकरण के सभी आदेश और विनिश्चय सचिव द्वारा या उस प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत उस प्राधिकरण के किसी अन्य कर्मचारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जायेंगे।

(9) जिला प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी कि जिला प्राधिकरण में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है।

जिला प्राधिकरण के कृत्य

10 (1) प्रत्येक जिला प्राधिकरण का यह कर्तव्य होगा कि वह जिले में राज्य प्राधिकरण के ऐसे कृत्यों का पालन करें जो राज्य प्राधिकरण द्वारा उसे समय-समय पर प्रत्यायोजित किए जाएं।

(2) जिला प्राधिकरण उपधारा (1) में निर्दिष्ट कृत्यों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित सभी या उनमें से किसी कृत्य का पालन कर सकेगा, अर्थात :-

(क) तालुक विधिक सेवा समितियों और जिले में अन्य विधिक सेवाओं के क्रियाकलापों

का समन्वय करना,

(ख) जिले के भीतर लोक अदालतों का आयोजन करना, और

(ग) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना, जो राज्य प्राधिकरण, विनियमों द्वारा नियत करे।

जिला प्राधिकरण का अन्य अभिकरणों के समन्वय से कार्य करना और केन्द्रीय प्राधिकरण, आदि के निर्देशों के अधीन रहना।

11 जिला प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में, जहां भी उपयुक्त हो, अन्य सरकारी अभिकरणों, गैर सरकारी संस्थाओं, विश्वविद्यालयो और निर्धनों को विधिक सेवा के उद्देश्य से संवर्धन कार्य में लगी अन्य संस्थाओं के समन्वय से कार्य करेगा और ऐसे निदेशों, द्वारा मार्ग दर्शित होगा जो उसे केन्द्रीय प्राधिकरण, या राज्य प्राधिकरण द्वारा लिखित रूप में दिए जाएं।

तालुक विधिक सेवा समिति

11क (1) राज्य प्राधिकरण प्रत्येक तालुक या मंडल के लिए या तालुक या मंडलों के समूह के लिए एक समिति का गठन कर सकेगा जिसे तालुक विधिक सेवा समिति कहा जाएगा।

(2) यह समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी,

(क) इस समिति की अधिकारिता के भीतर कार्य करने वाला ज्येष्ठ सिविल न्यायाधीश, जो पदेन अध्यक्ष होगा, और

(ख) उतने अन्य सदस्य जिनके पास ऐसा अनुभव और ऐसी अर्हताएं हों जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं और जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से उस सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाए।

(3) समिति अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए उतने अधिकारी और अन्य कर्मचारी नियुक्त कर सकेगी जितने राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से विहित किए जायें।

(4) समिति के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसे वेतन और भत्तों के हकदार होंगे और सेवा की ऐसी अन्य शर्तों के अधीन होंगे जो राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायलय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से विहित की जाएं।

(5) समिति के प्रशासनिक व्यय जिला प्राधिकरण द्वारा जिला विधिक सहायता निधि में से अदा किए जायेंगे।

तालुक विधिक सेवा समिति के कृत्य

11ख. तालुक विधिक सेवा समिति निम्नलिखित सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन कर सकेगी, अर्थात्:–

(क) तालुक में विधिक सेवाओं के क्रियाकलापो का समन्वय करना,

(ख) तालुक के भीतर लोक अदालतों का आयोजन करना, और

(ग) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो जिला प्राधिकरण उसे समादिष्ट करे।

अध्याय 4
विधिक सेवा के लिए हक

विधिक सेवा देने के लिए मानदण्ड

12. प्रत्येक व्यक्ति, जिसे कोई मामला फाइल करना है या किसी मामले में बचाव करना है,

इस अधिनियम के अधीन विधिक सेवा का हकदार होगा, यदि ऐसा व्यक्ति:–

(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य है,

(ख) संविधान के अनुच्छेद 23 में यथानिर्दिष्ट मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ है।

(ग) स्त्री या बालक है

(घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ या अन्यथा असमर्थ है,

(ङ) अनपेक्षित अभाव जैसे बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति है, या

(च) कोई औद्योगिक कर्मकार है, या

(छ) अभिरक्षा में है, जिसके अन्तर्गत अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खण्ड (छ) के अर्थ में किसी संरक्षण गृह में, या कि किशोर न्याय अधिनियम 1986 की धारा 2 के (न) के अर्थ में किसी किशोर गृह में, या मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 की धारा 2 के खण्ड (छ) के अर्थ में किसी मनोचिकित्सीय अस्पताल या मनोचिकित्सीय परिचर्या गृह में अभिरक्षा में रखा गया व्यक्ति भी है, या

(ज) ऐसा व्यक्ति है, जो यदि मामला उच्चतम न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय के समक्ष है तो 25 हजार रुपये या ऐसी अन्य उच्चतर रकम से कम जो राज्य सरकार विहित की जाए और यदि मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष है तो 25 हजार रुपये या ऐसी अन्य उच्चतर रकम से कम जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, वार्षिक आय के रूप में प्राप्त कर रहा है।

विधिक सेवा के लिए हक

13 (1) वे व्यक्ति, जो धारा 12 में विनिर्दिष्ट मानदण्डों में से सभी या किसी को पूरा करते हैं, विधिक सेवाएं प्राप्त करने के लिए हकदार होंगे परन्तु यह तब जब कि संबंधित प्राधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति के पास अभियोजित या प्रतिरक्षा करने के लिए प्रथम दृष्टतया मामला है।

(2) किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय के बारे में दिया गया शपथपत्र, विधिक सेवा के हक के लिए उसे पात्र बनाने के लिए पर्याप्त माना जा सकेगा जब तक कि संबंधित प्राधिकरण के पास ऐसे शपथपत्र अविश्वास करने का कारण न हो।

अध्याय–5

वित्त, लेखा और संपरीक्षा

केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान

14. केन्द्रीय सरकार संसद द्वारा इस निमित विधि में किए गये सम्यक् विनियोजन केपश्चात, केन्द्रीय प्राधिकरण को अनुदान के रूप उतनी धनराशि संदत्त करेगी जितनी केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग मे लाई जाने के लिए ठीक समझे।

राष्ट्रीय विधिक सहायता निधि

15. केन्द्रीय प्राधिकरण, राष्ट्रीय विधिक सहायता निधि के नाम से ज्ञात एक निधि स्थापित करेगा और उस निधि में निम्नलिखित राशि जमा की जाएगी, अर्थात:–

(क) धारा 14 के अधीन, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान के रूप में प्रदत्त की गई धनराशि

(ख) कोई ऐसा अनुदान या दान, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा केन्द्रीय प्राधिकरण को दिए जायें,

(ग) केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा किसी न्यायालय के आदेशों के अधीन या किसी अन्य श्रोत से प्राप्त की गई रकम।

(2) राष्ट्रीय विधिक सहायता निधि का उपयोजन निम्नलिखित को चुकाने के लिए किया जाएगा, अर्थात:–

(क) इस अधिनियम के अधीन उपबन्धित विधिक सेवाओं के खर्चे, जिसके अन्तर्गत राज्य प्राधिकरण को दिए गये अनुदान भी है।

(ख) उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा दी गई विधिक सेवाओं का खर्चे,

(ग) कोई अन्य व्यय जिनकी पूर्ति केन्द्रीय प्राधिकरण से अपेक्षित है।

राज्य विधिक सहायता निधि

16. (1) राज्य प्राधिकरण, राज्य विधिक सहायता निधि नाम से ज्ञात एक निधि स्थापित करेगा जिसमें निम्नलिखित राशि जमा की जाएगी, अर्थात:–

(क) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा संदत्त रामी धनराशि या दिये गये अनुदान,

(ख) कोई ऐसे अनुदान या दान, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य प्राधिकरण को, राज्य सरकार या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिये जाये।

(ग) राज्य प्राधिकरण द्वारा किसी न्यायालय के आदेशों के अधीन या अन्य श्रोत से प्राप्त की गई कोई अन्य रकम।

(2) राज्य विधिक सहायता निधि का उपयोजन निम्नलिखित को चुकाने के लिए किया जाएगा अर्थात:–

(क) धारा 7 में निर्दिष्ट कृत्यों के खर्चे,

(ख) उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियों द्वारा दी गई विधिक सेवाओं का खर्च,

(ग) कोई अन्य व्यय जिनकी पूर्ति राज्य प्राधिकरण से अपेक्षित है।

जिला विधिक सहायता निधि

17. (1) प्रत्येक जिला प्राधिकरण जिला विधिक सहायता निधि नाम से ज्ञात एक निधि स्थापित करेगा जिसमें निम्नलिखित राशि जमा की जाएगी अर्थात:–

(क) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य प्राधिकरण द्वारा जिला प्राधिकरण को संदत्त सभी धनराशि या दिए गये अनुदान,

(ख) कोई ऐसे अनुदान या संदान जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति द्वारा राज्य प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से जिला प्राधिकरण को दिए जायें,

(ग) जिला प्राधिकरण द्वारा, किसी न्यायालय के आदेशों के अधीन या किसी अन्य श्रोत से प्राप्त की गई कोई अन्य रकम।

(2) जिला प्राधिकरण निधि का उपयोजन निम्नलिखित को चुकाने के लिए किया जाएगा, अर्थात–

(क) धारा 10 और धारा 11 ख में निर्दिष्ट कृत्यों के खर्चे,

(ख) कोई अन्य व्यय जिन्हे जिला प्राधिकरण द्वारा पूरा किया जाना अपेक्षित है।

लेखा और संपरीक्षा

18. (1) यथास्थिति, केन्द्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात इस धारा मे "प्राधिकरण" कहा गया है) उपयुक्त लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और एक वार्षिक लेखा विवरण जिसके अन्तर्गत आय और व्यय लेख, तथा तुलनपत्र भी है, ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से तैयार करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के नियत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से, विहित की जाए।

(2) प्राधिकरण के लेखा की संपरीक्षा, भारत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा ऐसे अन्तराल पर की जाएगी जो उनके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए और ऐसे संपरीक्षा के संबंध में उपगत व्यय, संबंधित प्राधिकरण द्वारा भारत के नियत्रक और महालेखा परीक्षक को संदेय होगा।

(3) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को और इस अधिनियम के अधीन, किसी प्राधिकरण के लेखों की संपरीक्षा के संबंध में उनके द्वारा नियुक्त किए गये किसी व्यक्ति को, ऐसी संपरीक्षा के संबध में वही अधिकार, विशेषाधिकार और अधिकार प्राप्त होंगे जो भारत के नियत्रक और महालेखा परीखक को सरकार के लेखा की संपरीक्षा के संबध में, और, विशिष्टतया उन्हें बहियों, लेखों, के संबंधित प्रमाणकों, और दस्तावेजों, तथा कागजातों को पेश किए जाने की मांग करने का और इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण के किसी कार्यालय का

निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक या इस निमित उनके द्वारा नियुक्त किए गये किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, यथा प्रमाणित, प्राधिकरण का लेखा, उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट सहित, प्राधिकरण द्वारा, प्रतिवर्ष यथा स्थिति केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को अग्रेषित किया जायेगा।

(5) केन्द्रीय सरकार उपधारा (4) के अधीन उसके द्वारा प्राप्त लेखा और संपरीक्षा रिपोर्ट, उनके प्राप्त होने के पश्चात, यथा शीघ्र ससद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगी।

(6) राज्य सरकार उपधारा (4) के अधीन उनके द्वारा प्राप्त लेखा और सपरीक्षा रिपोर्ट उन्हें प्राप्त होने के पश्चात यथाशीघ्र, राज्य विधान मंडल के समक्ष रखवायेगी।

अध्याय 6
लोक अदालत

लोक अदालतों का आयोजन

19. (1) यथास्थिति, प्रत्येक राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण या उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति या प्रत्येक उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या तालुक विधिक सेवा समिति ऐसे अतरालो और स्थानों पर और ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए तथा ऐसे क्षेत्रों के लिए जो वह ठीक समझे, लोक अदालतो का आयोजन कर सकेगी।

(2) किसी क्षेत्र के लिए आयोजित प्रत्येक लोक अदालत उस क्षेत्र के उतने–

(क) सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों, और

(ख) अन्य व्यक्तियों,

से मिलकर बनेगी जितने ऐसी लोक अदालतों का आयोजन करने वाले, यथास्थिति राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण या उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति या उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या तालुक विधिक सेवा समिति द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(3) उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा आयोजित लोक अदालतों के लिए उपधारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट अन्य व्यक्तियों का अनुभव और अर्हताए वे होंगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से विहित की जाएं।

(4) उपधारा (3) में निर्दिष्ट लोक अदालतों से भिन्न लोक अदालतों के लिए उपधारा

(2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट अन्य व्यक्तियों के अनुभव और अर्हताएं वे होंगी जो राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से विहित की जाएं।

(5) किसी लोक अदालत को, उस न्यायालय के, जिनके लिए लोक अदालत आयोजित की जाती है:–

(i) समक्ष लम्बित किसी मामले की बाबत, या

(ii) उसकी अधिकारिता के भीतर आने वाले, किसी ऐसे विषय की बाबत जो उसके समक्ष नहीं लाया गया है,

किसी विवाद का अवधारण करने और उसके पक्षकारों के बीच समझौता या परिनिर्धारण करने की अधिकारिता होगी:–

परन्तु लोक अदालत को किसी ऐसे अपराध से संबंधित किसी मामले या विषय के बारे में कोई अधिकारिता नहीं होगी, जो किसी विधि के अधीन शमनीय नहीं है।

लोक अदालतों द्वारा मामलों का संज्ञान

20. (1) जहां धारा 19 की उपधारा (5) के खंड (i) में निर्दिष्ट किसी मामले में, :–

(i) उस मामले को परिनिर्धारण के लिए लोक अदालत को निर्दिष्ट करने के लिए–

(क) उसके पक्षकार सहमत हैं, या

(ख) उसका कोई पक्षकार न्यायालय को आवेदन करता है और यदि ऐसे न्यायालय का प्रथम दृष्टया समाधान हो जाता है कि ऐसे परिनिर्धारण की संभावनाएं हैं, या

(ii) न्यायालय का समाधान हो जाता है कि वह मामला लोक अदालत द्वारा ज्ञान दिए जाने के लिए समुचित मामला है, तो न्यायालय उस मामले को लोक अदालत को निर्दिष्ट करेगा:

परन्तु खंड (i) के उपखंड (ख) या खंड (ii) के अधीन कोई मामला लोक अदालत को ऐसे न्यायालय द्वारा पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात ही निर्दिष्ट किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुऐ भी, धारा 19 की उपधारा (i) के अधीन लोक अदालत का आयोजन करने वाला प्राधिकरण या समिति, धारा 19 की उपधारा (5) के खंड (ii) में निर्दिष्ट किसी मामले के किसी एक पक्षकार से ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर कि ऐसे मामले को लोक अदालत द्वारा अवधारित किया जाना आवश्यक है, ऐसे मामले को लोक अदालत की अवधारणा के लिए निर्दिष्ट कर सकेगी,

परन्तु लोक अदालत को कोई मामला अन्य पक्षकार को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात ही निर्दिष्ट किया जायेगा, अन्यथा नहीं।

(3) जहां कोई मामला उपधारा (1) के अधीन लोक अदालत को निर्दिष्ट किया जाता है या जहां उपधारा (2) के अधीन उसे कोई निर्देश किया गया है वहां लोक अदालत उस मामले या विषय का निपटारा करने के लिए अग्रसर होगी और पक्षकारों के बीच समझौता कराएगी या परिनिर्धारण करेगी।

(4) प्रत्येक लोक अदालत इस अधिनियम के अधीन अपने समक्ष किसी निर्देश का अवधारण करते समय पक्षकारों के बीच समझौता कराने या परिनिर्धारण करने के लिए अत्यधिक शीघ्रता से कार्य करेगी और न्याय, साम्या, ऋजुता और अन्य विधिक सिद्धान्तों द्वारा मार्गदर्शित होगी।

(5) जहां लोक अदालत द्वारा इस आधार पर कोई अधिनिर्णय नहीं दिया गया है कि पक्षकारों के बीच कोई समझौता या परिनिर्धारण नहीं हो सका है, वहां उस मामले का अभिलेख उसके द्वारा, उस न्यायालय को, जिससे उपधारा (1) के अधीन निर्देश प्राप्त हुआ था, विधि के अनुसार निपटाने के लिए लौटा दिया जायेगा।

(6) जहां लोक अदालत द्वारा कोई अधिनिर्णय इस आधार पर नहीं किया जाता है कि पक्षकारों के बीच उपधारा (2) में निर्दिष्ट विषय में कोई समझौता या परिनिर्धारण नहीं हो सका है वहां वह लोक अदालत पक्षकारों को किसी न्यायालय से उपचार प्राप्त करने की सलाह देगी।

(7) जहां मामले का अभिलेख उपधारा (5) के अधीन न्यायालय को लौटाया जाता है वहां, ऐसा न्यायालय ऐसे मामले पर उस प्रक्रम से कार्यवाही करेगा, जिस तक उपधारा (1) के अधीन ऐसा निदेश करने से पूर्व कार्यवाही की गई थी।

लोक अदालत के अधिनिर्णय

21. (1) लोक अदालत का प्रत्येक अधिनिर्णय, यथास्थिति, सिविल न्यायालय की डिक्री या किसी अन्य न्यायालय का आदेश समझा जाएगा और जहां किसी लोक अदालत द्वारा धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन उसको निर्दिष्ट किसी मामले में समझौता कराया या परिनिर्धारण किया गया है वहां ऐसे मामले में संदत्त न्यायालय फीस न्यायालय फीस, अधिनियम, 1870 के अधीन उपबन्धित रीति से लौटा दी जाएगी।

(2) लोक अदालत द्वारा किया गया प्रत्येक अधिनिर्णय अन्तिम और विवाद के सभी पक्षकारों पर आबद्धकर होगा तथा अधिनिर्णय के विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई अपील नहीं होगी।

लोक अदालत की शक्तियाँ

22. (1) लोक अदालत को, इस अधिनियम के अधीन कोई अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए, वहीं शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के, अधीन सिविल न्यायालय में, निम्नलिखित में से किसी विषय की बाबत विचारण करते समय, निहित होती है, अर्थात:–

(क) किसी साक्षी को समन कराना, हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना,

(ख) किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और उसको पेश किया जाना।

(ग) शपथ पत्र पर साक्ष्य ग्रहण करना,

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या दस्तावेज अथवा ऐसे अभिलेख या दस्तावेज की प्रति की अध्यपेक्षा करना, और

(ङ) ऐसे अन्य विषय, जो विहित किए जाएं।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक लोक अदालत को उसके समक्ष आने वाले किसी विवाद के अवधारण के लिए अपनी प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करने की अपेक्षित शक्ति होगी।

(3) लोक अदालत के समक्ष सभी कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193, धारा 210 और धारा 228 के अर्थ के भीतर न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी और प्रत्येक लोक अदालत, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजन के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

अध्याय 7
प्रकीर्ण

प्राधिकरणों, समितियों और लोक अदालतों के सदस्यों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना

23. (1) केन्द्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरणों, जिला प्राधिकरणों, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियों तालुक विधिक सेवा समितियों के सदस्य जिनके अन्तर्गत यथास्थिति, सदस्य सचिव या सचिव भी हैं और ऐसे प्राधिकरणों, समितियों के अधिकारियों और अन्य कर्मचारी तथा लोक अदालतों के सदस्य, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझे जाएंगे।

सद्भावपूर्वक की की गई कार्रवाही के लिए संरक्षण

24. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गये किसी नियम या विनियम के उपबन्ध के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही:–

(क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार,

(ख) केन्द्रीय प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक, कार्यपालक अध्यक्ष, सदस्यों या सदस्य सचिव या अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों,

(ग) राज्य प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक, कार्यपालक अध्यक्ष, सदस्यों, सदस्य सचिव या अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों,

(घ) उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियों तालुक विधिक सेवा समितियों, या जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष, सचिव, सदस्यो या अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों, या

(ङ) उपखंड (ख) से उपखंड (घ) में निर्दिष्ट किसी मुख्य संरक्षक, कार्यपालक अध्यक्ष, अध्यक्ष, सदस्य, सदस्य सचिव द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति, के विरुद्ध नही होगी।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना।

25. इस अधिनियम के उपबन्धों का तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में, या इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखित में अन्तर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभाव होगा।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति।

26. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्प न होती है, तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध नो इस अधिनियम के उपबन्धों से संगत न हो, कर सकेगी जो उसे कठिनाई दू करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो,

परन्तु ऐसा कोई आदेश, उस तारीख से जिसको इस अधिनियम पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसे जारी किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति

27. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धो को कार्यान्वित करने के लिए नियम, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात--

(क) धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन केन्द्रीय प्राधिकरण के अन्य सदस्यों की संख्या, अनुभव और अर्हताए,

(ख) धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन केन्द्रीय प्राधिकरण के सदस्य–सचिव का अनुभव और अर्हताए तथा उसकी शक्तियां और कृत्य,

(ग) धारा 3 की उपधारा (4) के अधीन केन्द्रीय प्राधिकरण के सदस्यों और सदस्य–सचिव की पदावधियां तथा उनसे संबंधित अन्य शर्ते,

(घ) धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन केन्द्रीय प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य

कर्मचारियों की संख्या,

(ङ) धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन केन्द्रीय प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें तथा वेतन और भत्ते,

(च) धारा 3 क की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के सदस्यों की संख्या, अनुभव और अर्हताएं,

(छ) धारा 3 क की उपधारा (3) के अधीन उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव का अनुभव और अर्हताएं,

(ज) धारा 3 क की उपधारा (5) के अधीन उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या और उस धारा की उपधारा (6) के अधीन सेवा की शर्तें तथा उनको संदेय वेतन और भत्ते,

(झ) यदि मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष है तो धारा 12 के खण्ड (ज) के अधीन विधिक सेवाओं के लिए किसी व्यक्ति को हकदार बनाने के लिए उनकी वार्षिक आय की उच्चतम सीमा,

(ञ) धारा 18 के अधीन वह रीति जिसमें केन्द्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण के लेखा रखे जायेंगे,

(ट) धारा 19 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा आयोजित लोक अदालतों के अन्य व्यक्तियों का अनुभव और अर्हताएं,

(ठ) धारा 22 की उपधारा (1) के खण्ड (ङ) के अधीन अन्य विषय,

(ड) कोई अन्य विषय जिसे विहित किया जाना है या विहित किया जाए।

राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति

28. (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात्:–

(क) धारा 6 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन राज्य प्राधिकरण के अन्य सदस्यों की संख्या, अनुभव और अर्हताएं,

(ख) धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन राज्य प्राधिकरण के सदस्य सचिव की शक्तियां और कृत्य,

(ग) धारा 6 की उपधारा (4) के अधीन राज्य प्राधिकरण के सदस्यों और सदस्य सचिव की पदावधियां और उनसे संबंधित अन्य शर्तें:–

(घ) धारा 6 की उपधारा (5) के अधीन राज्य प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या,

(ङ) धारा 6 की उपधारा (6) के अधीन राज्य प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य

कर्मचारियों की सेवा की शर्तें तथा वेतन और भत्ते,

(च) धारा 8 क की उपधारा (3) के अधीन उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव का अनुभव और अर्हताएं,

(छ) धारा 8 क की उपधारा (5) के अधीन उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या और उस धारा की उपधारा (6) के अधीन सेवा की शर्तें और उन्हें संदेय वेतन और भत्ते,

(ज) धारा 9 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन जिला प्राधिकरण के सदस्यों की संख्या, अनुभव और अर्हताएं

(झ) धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन जिला प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या

(ञ) धारा 9 की उपधारा (6) के अधीन जिला प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें तथा वेतन और भत्ते,

(ट) धारा 11क की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन, तालुक विधिक सेवा समिति के सदस्यों की संख्या, अनुभव और अर्हताएं,

(ठ) धारा 11 क की उपधारा (3) के खंड (ख) के अधीन, तालुक विधिक सेवा समिति के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या,

(ड) धारा 11क की उपधारा (4) के अधीन तालुक विधिक सेवा समिति के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें तथा वेतन और भत्ते,

(ढ) यदि मामला उच्चतम न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय के समक्ष है तो धारा 12 के खण्ड (ज) के अधीन विधिक सेवा के लिए किसी व्यक्ति को हकदार बनाने के लिए उसकी वार्षिक आय की उच्चतर सीमा,

(ण) धारा 19 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट से भिन्न लोक अदालतों के अन्य व्यक्तियों का अनुभव और अर्हताएं,

(त) कोई अन्य विषय जिसे विहित किया जाना है या विहित किया जाए।

केन्द्रीय प्राधिकरण की विनियम बनाने की शक्ति

29. (1) केन्द्रीय प्राधिकरण अधिसूचना द्वारा, ऐसे सभी विषयों के लिए उपबन्ध करने के लिए जिनके लिए इस अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के प्रयोजनों के लिए उपबन्ध करना आवश्यक या समीचीन है ऐसे विनियम बना सकेगा जो इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गये नियमों के उपबन्धों से असंगत न हो।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा अर्थात:–

(क) धारा 3 क की उपधारा (1) के अधीन उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति

की शक्तियां और कृत्य,

(ख) धारा 3 क की उपधारा (4) के अधीन उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के सदस्यों और सचिव की पदावधियां तथा उनसे संबंधित अन्य शर्तें।

राज्य प्राधिकरण की विनियम बनाने की शक्ति

29क. (1) राज्य प्राधिकरण, अधिसूचना द्वारा, ऐसे सभी विषयों के लिए उपबन्ध करने के लिए जिनके लिए इस अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के प्रयोजनों के लिए उपबन्ध करना आवश्यक या समीचीन है ऐसे विनियम बना सकेगा जो इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गये नियमों के उपबन्धों से असंगत न हो।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात:–

(क) धारा 7 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) के अधीन राज्य प्राधिकरण द्वारा पालन किये जाने वाले अन्य कृत्य,

(ख) धारा 8 क की उपधारा (1) के अधीन उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की शक्तियां और कृत्य,

(ग) धारा 8 क की उपधारा 2 खण्ड (ख) के अधीन उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सदस्यों की संख्या, अनुभव और अर्हताएं,

(घ) धारा 8 'क' की उपधारा (4) के अधीन उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सदस्यों और सचिव की पदावधियां और उनसे संबंधित अन्य शर्तें,

(ङ) धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन जिला प्राधिकरण के सदस्यों और सचिव की पदावधियां और उनसे संबंधित अन्य शर्तें,

(च) धारा 8 क की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सदस्यों की संख्या, अनुभव और अर्हताएं,

(छ) धारा 10 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन जिला प्राधिकरण द्वारा पालन किए जाने वाले अन्य कृत्य,

(ज) धारा 11 क की उपधारा (3) के अधीन तालुक विधिक सेवा समिति के सदस्यों और सचिव की पदावधियां और उनसे संबंधित अन्य शर्तें।

नियमों और विनियमों का रखा जाना

30. (1) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम और उसके अधीन केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम, बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी की जाएगी। यदि उस सत्र या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम

का विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाए तो तत्पश्चात वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाए कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो वह निष्प्रभावी हो जाएगा। किन्तु नियम या विनियम में ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम और उसके अधीन राज्य प्राधिकरण द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम, बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखा जाएगा।

* केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त अधिनियम के सभी उपबन्ध सिवाय अध्याय III, दिनांक 9 नवम्बर, 1995 से प्रवृत्त किये गये।
* केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय III के उपबन्ध, दिनांक 5 जुलाई, 1996 से उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवृत्त किये गये।